DOIT.C

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक एफ.2(184)/DOIT&C/2023/ML-9659/2023 जयपुर, दिनांक 20/12/2023

कार्यालय आदेश

स्व. श्री सत्यपाल मीणा, (अधीक्षण अभियन्ता) कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत भीलवाड़ा, राजस्थान, का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 03.01.2023 को निधन हो गया था। इनकी पुत्री सुश्री आरती मीणा **(ST)** को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु उक्त पत्र/आवेदन पत्र कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प.21(3अ) कार्मिक/क–2/2023 दिनांक 26.07.2023 के द्वारा इस विभाग में दिनांक 14.08.2023 को ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त हुआ है। अतः सुश्री आरती मीणा को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत **जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, शाहपुरा** में राजस्थान राज्य कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत सूचना सहायक के पद पर कार्यभार सम्भालनें की तिथि से दो वर्ष के लिए परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी **(Fixed Remuneration To Probationer Trainees)** के रूप में नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है।

सुश्री आरती मीणा को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10. 2017 के अनुसरण मे पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 2017 कें परिपत्र एफ14(1) एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत **Schedule IV(Rule No.16)** नियत पारिश्रमिक **(Fixed remuneration)** रूपये 18500/– प्रति माह की दर से देय होगें। इसके अतिरिक्त उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, मँहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें सूचना सहायक को **Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules,2017** के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स **Level-08 (First cell)** का न्यूनतम वेतनमान 26300/– रूपये निर्धारित किया गया है एवं नियमानुसार भत्ते देय होगें।

कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(51)डीओपी/ए–II/88 पार्ट दिनांक 07.09.2009 के अनुसरण में सुश्री आरती मीणा को 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिये हकदारी हेतु राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति परीक्षा निर्धारित समयावधि में उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसा न होने पर सुश्री आरती मीणा की नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक सुश्री आरती मीणा ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेते, तब तक उन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर ही नियुक्ति तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जायेगी किन्तु किसी बकाया का संदाय नहीं किया जायेगा।

सुश्री आरती मीणा द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की अंकतालिका के क्रमांक सं 0645786 के अनुसार इनकी जन्म तिथि 14.12.1995 (चौदह दिसम्बर उन्नीस सौ पंचानबे) है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगी :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं एक माह के नोटिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चाल–चलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है इसके लिए इनको कार्यभार सम्भालनें की दिनांक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो कि छः माह से पूर्व के नही हो) प्रस्तुत करने होगें।
3. सुश्री आरती मीणा द्वारा राज्य सेवा के दौरान मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण–पोषण नहीं करने की स्थिति में तथा प्रस्तुत शपथ–पत्रों व दस्तावेजों के मिथ्या पाये जाने की जानकारी होने पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।

लगातार..........

4. इन्हें प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि के दौरान एवं कैलेण्डर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। एक वर्ष से कम की अवधि में पूर्ण माहों के लिए एक आकस्मिक अवकाश प्रतिमाह की दर से देय होगा।
5. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र–ए में शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल ई स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा ।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नही पाया गया तो, उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा ।
7. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आंवटित कार्यालय/विभाग में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें । निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा ।
8. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा ।
9. सुश्री आरती मीणा को प्रोबेशनर ट्रेनी के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा महंगाई भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, बोनस तथा अन्य किसी प्रकार किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
10. चिकित्सा पुर्नभरण के स्थान पर आर.जी.एच.एस योजना लागू होगीं।
11. नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे।
12. सुश्री आरती मीणा को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन **(Fixed Pay)** पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

20.12.23

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी–यूआईडी एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प.21(3अ) कार्मिक/क–2/2023 दिनांक 26.07.2023 के कम में।
3. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत भीलवाड़ा, राजस्थान।
6. एसीपी (उपनिदेशक)/प्रोग्रामर, पदौन्नति शाखा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. एसीपी (उपनिदेशक), जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, शाहपुरा, राजस्थान।
8. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
9. प्रशासनिक अधिकारी, (स्थानान्तरण/पदस्थापन शाखा) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
10. सुश्री आरती मीणा, पुत्री स्व. श्री सत्यपाल मीणा (अधीक्षण अभियन्ता), निवासीः– नया बस स्टैंण्ड के सामने, राधा कृष्ण कोलोनी, वार्ड नम्बर 8, शाहपुरा, भीलवाड़ा (रजिस्टर्ड, ए.डी.) को प्रेषित कर लेख है कि आप मूल दस्तावेज एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, शाहपुरा में उपस्थित प्रस्तुत करे।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संस्थापन अधिकारी